# उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928


संख्या–4399–औ0सं0/2019–64/ए0एस0/2002 दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

अति आवश्यक/ई–मेल

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वान्चल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को,
लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।

विषय :– विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 (जिसमें 16 अन्य संगठन सम्मिलित है) द्वारा बिजली के निजीकरण की दृष्टि से इलेक्ट्रीसिटी एक्ट 2003 में किये जा रहे प्रतिगामी संशोधनों के विरोध में एवं अन्य न्यायोचित समस्याओं के समाधान हेतु 08 जनवरी 2020 को एक दिवसीय कार्य–बहिष्कार के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति बनाये रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 ने पत्र संख्या–29/संघर्ष दिनांक 21.11.2019 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया है कि **विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति** (जिसमें उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इन्जीनियर संगठन, विद्युत मजदूर पंचायत, उ0प्र0 बिजली कर्मचारी संघ, उ0प्र0 बिजली मजदूर संगठन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाईज यूनियन (इण्टक), उ0प्र0 विद्युत मजदूर संघ, यू0पी0 बिजली बोर्ड इम्पलाइज यूनियन, बिजली मजदूर यूनियन उ0प्र0, उ0प्र0 ताप विद्युत मजदूर संघ, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ, विद्युत कार्यालय सहायक संघ, यू0पी0 बिजली बोर्ड इम्पलाईज यूनियन, विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ, उ0प्र0 ताप विद्युत मजदूर संघ, उ0प्र0रा0वि0प0 श्रमिक संघ, विद्युत पैरामेडिकल एसोसिएशन, विद्युत मजदूर यूनियन उ0प्र0 (एच0एम0एस0) एवं विद्युत परिषद आशुलेखक संघ, उ0प्र0 सहित **कुल 16 यूनियनें सम्मिलित हैं)** द्वारा बिजली के निजीकरण की दृष्टि से इलेक्ट्रीसिटी एक्ट 2003 में किये जा रहे प्रतिगामी संशोधनों के विरोध में एवं अन्य न्यायोचित समस्याओं के समाधान 08 जनवरी 2020 को एक दिवसीय कार्य–बहिष्कार का नोटिस दिया गया है।

आप विदित है कि उ0प्र0 शासन ने **"उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम–1966"** के अर्न्तगत ऊर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में अधिसूचना संख्या–811/24–पी–2–19–1(121)/04 दिनांक 04.07.2019 द्वारा छः माह के लिये हड़ताल निषिद्ध की है जिसकी सूचना आपको कारपोरेशन (मुख्यालय) के पृष्ठांकन संख्या–2550–औ0सं0/2019–159–ए/67 दिनांक 23.07.2019 द्वारा दी जा चुकी है, ऐसी स्थिति में कार्य बहिष्कार, रैली आदि करना न केवल अनुचित अपितु अवैधानिक भी है। यह भी उल्लेखनीय है कि कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–929–औ0सं0/17/पाकालि/ 2001–3– ए0/79 दिनाँक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में **"काम नहीं तो वेतन नहीं"** के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किये जाने के आदेश भी विद्यमान है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 द्वारा दिनांक **08.01.2020 को प्रस्तावित 01 दिवसीय कार्य–बहिष्कार** किये जाने की नोटिस के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति को प्रत्येक स्थिति में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व सयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला–प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये। कृपया निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें।

कृपया इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

सलंग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या–4399–(1)–औ0सं0/2019 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

क्रमशः.....2...../–

3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 ट्रांस्को, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल एवं दक्षिणांचल, वाराणसी/मेरठ/ लखनऊ आगरा एवं मुख्य अभियन्ता (मा0सं0 एवं प्रशा0) कानपुर विद्युत वितरण निगम लि0 ( केस्कों)।
7. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. संयुक्त सचिव (कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को कार्य बहिष्कार की नोटिस की प्रति सहित कान्टीजेन्ट प्लान एवं समस्त आवश्यक व्यवस्थाये पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।
9. समस्त महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (लेखा),/उप मुख्य लेखाधिकारीगण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. कारपोरेशन मुख्यालय/लेखा–शाखा के समस्त अधिकारीगण, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट पर लोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

# विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र

पत्रांक सं0 – 03/संघर्ष/2019 दिनांक 11.12.2019

मुख्यमंत्री,
उप्र सरकार,
लखनऊ।

(अरविन्द कुमार)
अध्यक्ष
उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि०

विषय :– **बिजली के निजीकरण की दृष्टि से इलेक्ट्रीसिटी एक्ट 2003 में किये जा रहे प्रतिगामी संशोधनों के विरोध में एवं अन्य न्यायोचित समस्याओं के समाधान हेतु 08 जनवरी 2020 को एक दिवसीय कार्य बहिष्कार की सूचना।**

महोदय,

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र की 11 दिसम्बर 2019 को लखनऊ में हुई बैठक में बिजली के क्षेत्र में विगत 20 वर्षों से तथाकथित सुधारों के नाम पर चल रहे जनविरोधी प्रतिगामी प्रयोगों पर गंभीर चिंता प्रकट की गयी। सम्मलेन इस बात पर चिंता व्यक्त करता है कि केन्द्र और राज्य सरकारों की निजी घरानों पर अति निर्भरता की ऊर्जा नीति के चलते आम लोगों के लिए बिजली महंगी होती जा रही है जबकि जनता के पैसे से बने बिजली नेटवर्क के सहारे ही निजी घराने अरबों खरबों रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं। केंद्र और राज्य की निजी घरानों पर अति निर्भरता की गलत ऊर्जा नीति के चलते उप्र में बिजली वितरण कंपनियों का कुल घाटा 85 हजार करोड़ रु हो गया है। जबकि विद्युत परिषद के विघटन के समय वर्ष 2000 में सालाना घाटा मात्र 77 करोड़ रू था। बिजली बोर्डों का विघटन घाटे के नाम पर किया गया था किन्तु विघटन के बाद लगातार बढ़ रहे घाटे से स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि तथाकथित सुधारों के नाम पर चल रही ऊर्जा नीति पूरी तरह विफल साबित हुई है अतः इस पर तत्काल पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

ध्यान रहे कि तथाकथित सुधारों के नाम पर देश में सबसे पहले उड़ीसा बिजली बोर्ड का विघटन किया गया था और उड़ीसा में चारों विद्युत् वितरण कंपनियों को निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया था। इनमे एक कंपनी अमेरिका की ए ई एस कंपनी थी जो साल भर बाद ही वापस भाग गयी। तीन वितरण कम्पनियाँ रिलायन्स को दी गयी थीं जिनके लाइसेंस उड़ीशा विद्युत नियामक आयोग द्वारा फरवरी 2015 में रद्द कर दिए गए। लाइसेंस रद्द करने का मुख्य कारण यह बताया गया कि रिलायंस कम्पनी लाइन हानियां घटाने और बिजली व्यवस्था में सुधार करने में पूरी तरह विफल रहा है। रिलायंस ने लाइसेंस रद्द करने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा किन्तु सुप्रीम कोर्ट ने भी रिलायंस की याचिका खारिज कर दी। अत्यंत खेद का विषय है कि इतना सब होने के बावजूद उड़ीशा में बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण करने की प्रक्रिया पुनः चलायी जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में विद्युत बोर्ड को समाप्त कर विद्युत वितरण का सीधे निजीकरण किया गया था। दिल्ली में दो वितरण कम्पनियाँ रिलायंस के पास हैं और एक वितरण कंपनी टाटा के पास है। हर साल बिजली दरें बढ़ाने के लिए निजी कम्पनियाँ नियामक आयोग को प्रस्ताव देती हैं। निजी कम्पनियाँ बिलिंग से लेकर मीटरिंग तक में भारी फर्जीवाड़ा कर रही हैं। निजी कंपनियों का सी ए जी से आडिट कराया जाये तो और बड़े घोटाले सामने आएंगे। कुल मिलाकर निजीकरण का प्रयोग दिल्ली में भी पूरी तरह विफल रहा है और आम जनता निजी कम्पनियों के मनमामेपन से परेशान है।

उप्र में भी कर्मचारियों के प्रबल विरोध के बावजूद वर्ष 2000 में उप्र राज्य विद्युत परिषद का विघटन कर निगमीकरण किया गया जिसके दुष्परिणाम लगातार बढ़ रहे घाटे के रूप में सामने है। इसी प्रकार आगरा की बिजली व्यवस्था निजी फ्रेन्चाईजी टोरेन्ट कम्पनी को 01 अप्रैल 2010 को दी गयी जिससे पावर कारपोरेशन को प्रति वर्ष भारी क्षति हो रही है और आगरा के उपभोक्ता भी काफी परेशान है। ग्रेटर नोएडा जैसे औद्योगिक और व्यवसायिक क्षेत्र को वर्ष 1993 में निजी कम्पनी नोएडा पावर लि को सौंप दिया गया था। कम्पनी ने करार की शर्तों के अनुसार बिजली उत्पादन गृह लगाना तो दूर रहा

उल्टे कम्पनी पावर कारपोरेशन से बिजली खरीद का बकाया भी समय से नही दे रही है। इस प्रकार उप्र में भी निजीकरण का प्रयोग बुरी तरह असफल रहा है।

इन विफलताओं से सबक लेने के बजाये केंद्र सरकार निजीकरण करने की दृष्टि से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में आगामी बजट सत्र में प्रतिगामी संशोधन करने पर आमादा है जिसमे बिजली आपूर्ति कई निजी कंपनियों को देने की व्यवस्था है। यदि यह बिल पारित हो गया तो बिजली आपूर्ति करने वाली निजी कम्पनियाँ मुनाफे वाले बड़े उपभोक्ताओं को बिजली देकर भारी मुनाफा कमाएंगी जबकि सरकारी क्षेत्र की बिजली आपूर्ति कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों, गरीबों और आम उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति कर केवल घाटे में रहेगी और इस प्रकार सरकारी बिजली आपूर्ति कम्पनियों का दीवाला निकल जायेगा और क्रास सब्सिडी खत्म हो जाने से अंततः आम उपभोक्ताओं का टैरिफ बढ़ेगा।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र ऊर्जा क्षेत्र में सार्थक सुधार हेतु आपसे मांग करती है कि –

- बिजली निगमों का एकीकरण कर केरल व हिमाचल प्रदेश की तरह उप्रराविप लिमिटेड का पुनर्गठन किया जाये।
- बिजली के निजीकरण की दृष्टि से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में किये जाने वाले समस्त संशोधन वापस लिये जाये।
- श्रम कानूनों में किये जा रहे समस्त प्रतिगामी संशोधन वापस लिये जायें।
- आगरा का विद्युत वितरण फ्रेन्चाईजी करार व ग्रेटर नोएडा का निजीकरण रद्द किया जाये।
- उप्र पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट एवं उप्र पाकालि सीपीएफ ट्रस्ट की डीएचएफएल में निवेश की गयी धनराशि के भुगतान हेतु प्रमुख सचिव(ऊर्जा) द्वारा 23 नवम्बर 2019 को जारी आदेश पर गजट नोटीफिकेशन जारी किया जाये जिससे कर्मचारी निश्चिन्त होकर अपने कार्य में पूर्ण निष्ठा से जुटे रह सके। घोटाले के दोषियों पूर्व चेयरमैनों(जो ट्रस्ट के भी चेयरमैन रहे) व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाये व मा. मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में सीबीआई जांच तत्काल प्रारम्भ करायी जाये।
- कर्मचारियों को रिफॉर्म एक्ट 1999 एवं ट्रांसफर स्कीम 2000 के तहत मिल रही रियायती बिजली की सुविधा (एलएमवी 10) पूर्ववत बनाये रखी जाये व मीटर लगाने के आदेश वापस लिये जायें।
- सरकारी क्षेत्र के बिजली उत्पादन गृहों का नवीनीकरण/उच्चीकरण किया जाये और निजी घरानों से मंहगी बिजली खरीद हेतु सरकारी बिजली घरों को बन्द करने की नीति समाप्त की जाये।
- बिजली कर्मियों की वेतन विसंगतियों का तत्काल निराकरण किया जाये।
- वर्ष 2000 के बाद भर्ती हुए सभी कार्मिकों के लिए पुरानी पेन्शन प्रणाली लागू की जाये।
- सभी श्रेणी के समस्त रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की जाये और नियमित प्रकृति के कार्यों में संविदा/ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर संविदा कर्मियों को वरीयता देते हुए नियमित भर्ती की जाये।
- बिजली कर्मचारी सुरक्षा अधिनियम (Electricity employees protection act) शीघ्र बनाया जाये।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र बिजली सेक्टर के राष्ट्रीय श्रम संघों/सेवा संगठनों के आह्वान पर आपको सूचित करती है कि उक्त मांगों पर केन्द्र व राज्य सरकार के ध्यानाकर्षण हेतु उप्र के सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर व अभियन्ता आगामी 08 जनवरी 2020 को 01 दिन का कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन/सभा करेंगे। इस 01 दिवसीय कार्य बहिष्कार के दौरान विद्युत उत्पादन गृहों, पारेषण व सिस्टम आपरेशन में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अलग रखा जायेगा जिससे बिजली का ग्रिड पूरी तरह ठप्प न हो जाये और आम जनता को कठिनाई न हो।

भवदीय

(शैलेन्द्र दुबे)
संयोजक
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति

(राजीव सिंह)
महासचिव
उप्र राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ

(जय प्रकाश)
महासचिव
रांविप जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उप्र

(गिरीश कुमार पाण्डेय)
महामंत्री
विद्युत मजदूर पंचायत, उप्र

(महेन्द्र राय)
मुख्य महामंत्री
उप्र बिजली कर्मचारी संघ

(सुहैल आबिद)
महामंत्री
उप्र बिजली मजदूर संगठन

(विनय शुक्ला)
प्रमुख महामंत्री
हाईड्रो इलेक्ट्रिक इम्प.यू.उप्र

(शशिकान्त श्रीवास्तव)
महामंत्री
उप्र विद्युत मजदूर संघ

(परशुराम)
महासचिव
रा.वि.प.प्रा. कर्मचारी संघ, उप्र

(सुनील प्रकाश पाल)
केन्द्रीय अध्यक्ष
विद्युत कार्यालय सहायक संघ

(भगवान मिश्रा)
अध्यक्ष
यूपी बिजली बोर्ड इम्प. यू. उप्र(सीटू)

(राम सहारे वर्मा)
प्रान्तीय महामंत्री
विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ, उप्र

(शम्भू रतन दीक्षित)
अध्यक्ष
उप्र ताप विद्युत मजदूर संघ

(पी एस बाजपेयी)
अध्यक्ष
उप्र रा.वि.प. श्रमिक संघ

(जी.पी. सिंह)
महामंत्री
विद्युत पैरामेडिकल एसोसिशन

(पूशेलाल)
अध्यक्ष
विद्युत मजदूर यूनियन उप्र (एचएमएस)

(वी के सिंह 'कलहंस')
केन्द्रीय अध्यक्ष
विद्युत परिषद आशुलेखक संघ, उप्र (भामस)

पृष्ठ - 37

प्रतिलिपि प्रतिष्ठा में –

1. मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मा0 विद्युत मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. मा0 ऊर्जा मंत्री, उप्र सरकार, लखनऊ।
4. मुख्य सचिव, उप्र शासन, लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उप्र शासन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, उप्र पावर कारपोरेशन लि/उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि/ उप्र जल विद्युत निगम लि/उप्र पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

शैलेन्द्र दुबे
शैलेन्द्र दुबे